



Daily

CURRENT AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी कट्ट अफेयर्स की राह आसान

3 February



The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE



जनसत्ता

दैनिक भास्कर



Quote of the Day



**जीवन की सबसे बड़ी गलती
वही होती है,
जिस गलती से हम
कुछ **सीख** नहीं पाते।**



घटेलू कार्बनगारों का शोषण

UPSC Syllabus Relavance :

- UPSC Mains GS Paper - 2





► घरेलू कामगार हमारे घरों में अक्सर अदृश्य ही रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे हमारे घरों को साफ-सुथरा रखते हैं, हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं और कई अन्य घरेलू कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, इन कामगारों का अक्सर शोषण होता है।

12
8 रुपये
12





शोषण के रूप:



- ▶ **कम वेतन:** घरेलू कामगारों को अक्सर न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जाता है, और उन्हें ओवरटाइम के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता।
- ▶ **अधिक काम के घंटे:** उन्हें अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता है, बिना किसी छुट्टी या अवकाश के।



शोषण के रूप:



- **शारीरिक और मानसिक शोषण:** कई घरेलू कामगारों को शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे पेंशन, बीमा आदि का लाभ नहीं मिलता है।
- **काम की असुरक्षा:** उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है और उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती है।



शोषण के कारण:



- ▶ **कानूनी ढांचे का अभाव:** भारत में घरेलू कामगारों के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जिसके कारण उनका शोषण होता है।
- ▶ **सामाजिक पूर्वाग्रह:** घरेलू काम को अक्सर कम दर्जे का काम माना जाता है, जिसके कारण इन कामगारों को कम सम्मान मिलता है।
- ▶ **गरीबी और बेरोजगारी:** कई लोग आर्थिक जरूरतों के कारण घरेलू काम करने को मजबूर होते हैं।



समाधान:



- ▶ **कानून का निर्माण:** घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानून बनाना आवश्यक है।
- ▶ **जागरुकता फैलाना:** लोगों को घरेलू कामगारों के अधिकारों के बारे में जागरुक करना चाहिए।



समाधान:



- **शिकायत निवारण तंत्र:** घरेलू कामगारों के लिए शिकायत दर्ज करने का एक सरल और प्रभावी तंत्र होना चाहिए।
- **समाज में बदलाव:** घरेलू काम को एक सम्मानजनक पेशा के रूप में देखा जाना चाहिए।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला:



- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने का आदेश दिया है।
- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया है।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला:



- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू कामगार अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों से आते हैं और आर्थिक तंगी या विस्थापन के कारण घरेलू काम करने के लिए मजबूर होते हैं।
- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश भर में लाखों असुरक्षित घरेलू कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रभावी विधायी या कार्यकारी कार्रवाई नहीं हुई है।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला:



- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में घरेलू कामगारों के शोषण और व्यापक दुर्व्यवहार का मुख्य कारण उनके अधिकारों और सुरक्षा के मामले में कानूनी रिक्तता है।
- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू कामगार काफी हद तक असुरक्षित हैं और उन्हें कोई व्यापक कानूनी मान्यता नहीं दी जाए है। यही कारण है कि उनका शोषण किया जाता है, उन्हें अक्सर कम वेतन दिया जाता है, और उन्हें बिना किसी प्रभावी सहारे के लंबे समय तक असुरक्षित काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।



सुप्रीम कोर्ट का फैसला:



- ▶ सुप्रीम कोर्ट ने श्रम और रोजगार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास, और विधि एवं न्याय मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वे घरेलू कामगारों के अधिकारों, संरक्षण और विनियमन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति का गठन करें।



अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:

- ▶ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने भी घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कन्वेंशन पारित किया है। हालांकि, भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन को स्वीकार नहीं किया है।



International
Labour
Organization



आगे का रास्ता:

► घरेलू कामगारों के शोषण को रोकने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। सरकार को एक मजबूत कानून बनाना चाहिए, नागरिकों को जागरूक करना चाहिए और गैर-सरकारी संगठनों को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए।



निष्कर्षः

- घरेलू कामगार हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में घटेलू कामगारों के लिए एक स्पष्ट और सख्त श्रम कानून मौजूद है जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ✎

2. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने घटेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कन्वेंशन पारित किया है, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया है। ✓

3. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घटेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। // ➡

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3**
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



सर्विन तेंदुलकर को बीसीएसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

UPSC Syllabus Relavance :

- UPSC Mains GS Paper - 1





- ▶ बीसीसीआई ने 1 फरवरी, 2025 को मुंबई में प्रतिष्ठित नमन अवार्ड्स में भारतीय क्रिकेट में असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित किया।
- ▶ समारोह का एक ऐतिहासिक क्षण भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर को प्रतिष्ठित कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करना था, जो दो दशकों से अधिक समय से भारतीय क्रिकेट में उनके अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है।





► लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड ने क्रिकेट लीजेंड के असाधारण 24 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को स्वीकार किया, जिसमें व्यक्तिगत मील के पत्थर और राष्ट्रीय जीत के माध्यम से, चुनौतियों और जीत के माध्यम से, उन्होंने न केवल अपने बल्ले को बल्कि पूरे देश की उम्मीदों को आगे बढ़ाया।



- ▶ यह केवल एक क्रिकेटर को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे फेनोमेन को भी मान्यता देता है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक वैश्विक ताकत में बदल दिया।
- ▶ दो दशकों से अधिक समय तक, तेंदुलकर के बल्ले ने **दुनिया भर के क्रिकेट मैदानों पर कविता रखी, 100 अंतरराष्ट्रीय शतक और 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन की अभूतपूर्व विरासत का निर्माण किया।**



- ▶ 16 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनने तक, तेंदुलकर की यात्रा अथक उत्कृष्टता की खोज की थी।
- ▶ आज तक, वह 200 टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। उनके अद्वितीय जुनून, समर्पण और कौशल ने उनकी विनम्रता, अनुग्रह और गरिमा के साथ मिलकर उन्हें एक वैश्विक खेल आइकन के रूप में स्थापित किया।

सचिन तेंदुलकर

भारतीय क्रिकेट का जादूगार



Sachin Tendulkar
1989-2013

सचिन तेंदुलकर :

भारतीय क्रिकेट का जादूगर

- सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा, लगन और खेल के प्रति समर्पण के साथ क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।



सचिन तेंदुलकर:

भारतीय क्रिकेट का जादूगर

प्रारंभिक जीवन और करियर:

- जन्म: 24 अप्रैल, 1973, मुंबई, भारत में
- प्रारंभिक क्रिकेट: बचपन से ही क्रिकेट में रुचि, 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण
- अंतर्राष्ट्रीय करियर: 24 साल का लंबा और शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर, जिसमें उन्होंने टेस्ट और एकदिवसीय दोनों प्रारूपों में कई रिकॉर्ड बनाए।



सचिन तेंदुलकर:

भारतीय क्रिकेट का जादूगर

अहम उपलब्धियां:

- 100 अंतरराष्ट्रीय शतक: टेस्ट और एकदिवसीय दोनों प्रारूपों में सबसे अधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड
- 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज
- 200 टेस्ट मैच: 200 टेस्ट मैच खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर
- विश्व कप जीत: 2011 विश्व कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई



सचिन तेंदुलकरः भारतीय क्रिकेट का जादूगर

क्रिकेट से परे:

- भारत रत्न: भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
- अन्य पुरस्कार: अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
- समाज सेवा: विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं



सचिन तेंदुलकर का प्रभाव

- क्रिकेट को लोकप्रिय बनाया: उन्होंने क्रिकेट को भारत में एक राष्ट्रीय खेल बना दिया।
- युवाओं के लिए प्रेरणा: उन्होंने लाखों युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया।
- भारतीय क्रिकेट की छवि को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया: उन्होंने भारतीय क्रिकेट को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई।



सचिन तेंदुलकर का प्रभाव

अतिरिक्त जानकारी:

- सचिन तेंदुलकर को 'क्रिकेट का भगवान' के नाम से भी जाना जाता है।
- उन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है।
- उन्होंने 24 साल के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं।
- उन्होंने भारतीय क्रिकेट को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई है।
- उन्होंने लाखों युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया है।



सचिन तेंदुलकर का प्रभाव

अन्य दिलचस्प तथ्यः

- सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।
- उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक शतक बनाए हैं।
- उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं, जो किसी भी अन्य क्रिकेटर द्वारा खेले गए सबसे अधिक टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड है।
- उन्हें 2011 में भारत को विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है।



सचिन तेंदुलकर का प्रभाव

निष्कर्ष:


- सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल से परे ले जाकर इसे एक **धर्म** बना दिया। उनकी विरासत हमेशा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जीवित रहेगी।



CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:


1. सचिन तेंदुलकर को 2025 में बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
2. सचिन तेंदुलकर को अब तक भारत ट्लन सम्मानित होने वाले एकमात्र क्रिकेटर के रूप में जाना जाता है।
3. सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 200 एकदिवसीय शतक बनाए हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3



कैंसर की दवाओं पर धारा

UPSC Syllabus Relavance :

- UPSC Mains GS Paper - 2





- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में सरकार का तीसरा पूर्ण बजट और अपना 8वां बजट पेश किया। उन्होंने घोषणा कि कैंसर की 36 दवाएं सस्ती की जाएंगी।
- कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के लिए बड़ी राहत देते हुए उन्होंने घोषणा की कि 36 जीवनरक्षक दवाओं (life saving drugs) को उस सूची में जोड़ा जाएगा, जिन पर कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।





- ▶ सरकार अगले तीन साल में सभी जिला अस्पतालों में 200 कैंसर डेकेयर सेंटर खोलेगी। साथ ही, अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। चलिए जानते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में उन्होंने और क्या बड़ी घोषणाएं की हैं।



मेडिकल टूरिज्म के लिए 'हील इन इंडिया'



- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार 'हील इन इंडिया' (Heal in India) योजना के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगी और वीजा प्रक्रिया को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में मेडिकल टूरिज्म को निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जाएगा।



कैंसर की 36 दवाएं होंगी सस्ती




- ▶ इसके अलावा, उन्होंने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की **36 दवाओं** को पूरी तरह से बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने की घोषणा की। साथ ही, सरकार 37 और दवाओं पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म करेगी।
- ▶ उन्होंने कहा, "कैंसर, गंभीर बीमारियों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने का प्रस्ताव है।"



मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी सीट



- वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ज्यादा सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले 5 साल में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।





खुलेंगे 200 कैंसर डे-केयर सेंटर



- ▶ इसके साथ ही, अगले 3 सालों में सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में 200 कैंसर डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि गिग वर्कर्स (फ्रीलांस काम करने वाले लोग) को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा, सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर्स को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।



लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होती हैं?

- ▶ कुछ बीमारियां इतनी गंभीर होती हैं कि उनके इलाज के लिए खास दवाओं की जरूरत पड़ती है, जिन्हें "जीवन रक्षक दवाएं" (Life-Saving Drugs) कहा जाता है। ये दवाएं उन रोगियों के लिए जरूरी होती हैं, जिनकी हालत गंभीर होती है और जिनका इलाज जल्द से जल्द किया जाना जरूरी होता है।



लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या होती हैं?

- जीवन रक्षक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो गंभीर बीमारियों, संक्रमणों या इमरजेंसी स्थितियों में मरीज की जान बचाने के लिए दी जाती हैं। ये दवाएं अस्पतालों, मेडिकल इमरजेंसी, सर्जरी और गहन चिकित्सा (ICU) में इस्तेमाल की जाती हैं।



जीवन रक्षक दवाओं का महत्व

(नटर)

- ये दवाएं इमरजेंसी स्थितियों में मरीज को स्थिर करने और बचाने में मदद करती हैं। हॉस्पिटल और ICU में जरुरी - अस्पतालों में इलाज के दौरान डॉक्टरों के लिए ये दवाएं अनिवार्य होती हैं।
- कोरोना जैसी महामारी में जीवन रक्षक दवाओं ने लाखों लोगों की जान बचाई। सरकारें इन दवाओं को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करती हैं ताकि सभी को सही इलाज मिल सके।

fevi film → कोरोना
Remidiciv - I लाइ

CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारत सरकार ने बजट 2025 में **36 जीवनरक्षक दवाओं** को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने की घोषणा की।
- सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में **200 कैंसर डे-केयर सेंटर खोलने** की योजना बना रही है।
- 'हील इन इंडिया' योजना के तहत सरकार कैंसर रोगियों को **मुफ्त इलाज प्रदान** करेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



विदाए का नएवाना और नएवाना बोड की स्थापना

UPSC Syllabus Relavance :

- UPSC Mains GS Paper - 2





- ▶ बिहार, विशेषकर मिथिला क्षेत्र, मखाने के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है। मखाना एक प्रकार का बीज है जो पौधे के फल से निकाला जाता है और इसे आमतौर पर स्लैक्स के रूप में खाया जाता है।
- ▶ यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। बिहार में उत्पादित मखाना अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और इसे देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यात भी किया जाता है।





खुलेंगे 200 कैंसर डे-केयर सेंटर



- ▶ बिहार, विशेषकर मिथिला क्षेत्र, मखाने के उत्पादन के लिए देश में प्रसिद्ध है।
मखाना एक प्रकार का बीज है जो पौधे के फल से निकाला जाता है और इसे
आमतौर पर स्नैक्स के रूप में खाया जाता है।
- ▶ यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
बिहार में उत्पादित मखाना अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और
इसे देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यात भी किया जाता है।



मखाना बोर्ड की स्थापना

- 2025 के बजट में, भारत सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। यह निर्णय बिहार के मखाना उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



मखाना बोर्ड की स्थापना

मखाना बोर्ड के गठन के उद्देश्य:

- मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना: बोर्ड मखाना उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करेगा।
- गुणवत्ता सुधार: मखाने की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों का निर्धारण और प्रमाणीकरण किया जाएगा।
- बाजार विस्तार: मखाने के उत्पादों को देश और विदेश में बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग रणनीतियाँ बनाई जाएंगी।



मखाना बोर्ड की स्थापना

मखाना बोर्ड के गठन के उद्देश्य:

- किसानों को सशक्त बनाना: किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक **और** कृषि तकनीकों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। ✓
- प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना: मखाने के **प्रसंस्करण इकाइयों** को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।



मखाना बोर्ड की स्थापना

मखाना बोर्ड से किसानों को क्या लाभ होंगे?

- आय में वृद्धि: बेहतर उत्पादन और बाजार पहुंच के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- तकनीकी सहायता: किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सहकारी समितियों का गठन: किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित किया जाएगा ताकि वे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें।



मखाना बोर्ड की स्थापना

मखाना बोर्ड से बिहार को क्या लाभ होगा?

- आर्थिक विकास: मखाना उद्योग में वृद्धि से बिहार की आर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगा।
- रोजगार सृजन: मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।



मखाना बोर्ड की स्थापना

मखाना बोर्ड से बिहार को क्या लाभ होगा?

- किसानों का सशक्तीकरण: मखाना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- राज्य की ब्रांड इमेज में सुधार: बिहार को मखाने के उत्पादन के लिए एक प्रमुख राज्य के रूप में जाना जाएगा।



क्या है मखाना?

- मखाना एक जलीय पौधे (यूरिअले फेरोक्स) का बीज है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता रहा है।
- इसे अक्सर "फॉक्स नट्स" या "सिंहारा" भी कहा जाता है।
- यह एक हल्का पॉपकॉर्न जैसा स्लैक है जिसे विभिन्न तरीकों से तैयार किया जाता है, जैसे कि भूना, भाप देना या करी में शामिल करना।



मखाना का उत्पादन

- भारत में मखाने का सबसे अधिक उत्पादन बिहार राज्य में होता है, विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में।
- यह दलदली क्षेत्रों में उगाया जाता है और पारंपरिक तरीकों से काटा और संसाधित किया जाता है।



पोषण संबंधी लाभ

- प्रोटीन का अच्छा स्रोत: मरवाने में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो इसे शाकाहारी आहार के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है।
- फाइबर युक्त: इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन में सहायक होता है।
- कैलोरी में कम: मरवाना एक कम कैलोरी वाला स्लैक है, जो वजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है।



पोषण संबंधी लाभ

- खनिज और विटामिन: इसमें कई महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन सी आदि पाए जाते हैं।
- ग्लूटेन मुक्त: यह ग्लूटेन मुक्त है, इसलिए यह सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है।



स्वास्थ्य लाभ

- हृदय स्वास्थ्य: मरवाना रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- पाचन स्वास्थ्य: इसमें मौजूद फाइबर पाचन में सुधार करता है और कब्ज से राहत दिलाता है।
- वजन प्रबंधन: कम कैलोरी होने के कारण, यह वजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है।



स्वास्थ्य लाभ

- हड्डियों के स्वास्थ्य: कैल्शियम और फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा होने के कारण, यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
- एंटीऑक्सीडेंट गुण: मखाने में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं।



मखाने का उपयोग

- स्लैक्सः इसे भुना हुआ, पॉपकॉर्न की तरह खाया जा सकता है।
- खाना पकाने मेंः इसे खीर, हलवा, करी आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
- आयुर्वेद मेंः आयुर्वेद में भी मखाने का उपयोग किया जाता है।



मखाना उद्योग

- बिहार में मखाना उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जो कई लोगों के लिए रोजगार का स्रोत है।
- हाल के वर्षों में, मखाना की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है।



मखाना की खेती

- मखाना दलदली क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- इसकी खेती के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है।



CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बिहार, विशेष ढंप से मिथिला क्षेत्र, भारत में मखाने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
2. भारत सरकार ने 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की।
3. मखाना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य केवल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।


उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



ਮਾਨਯੁਕਤ ਮਾਗਦੇ: 3 ਸਦਾਵੀਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਾਂਗ ਥੁਲ ਕੀ

- UPSC Mains GS Paper - 2





- ▶ 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए।
- ▶ इस आपदा के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया, जो इस घटना की विस्तृत जांच करेगा और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के उपाय सुझाएगा।





जांच आयोग का गठन



- ▶ उत्तर प्रदेश सरकार ने 1952 के जांच आयोग अधिनियम, धारा 3 के तहत तीन सदस्यीय समिति गठित की। इस आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं, जबकि अन्य दो सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डी.के. सिंह और पूर्व डीजीपी वी.के. गुप्ता हैं।
- ▶ सरकार ने आयोग को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, हालांकि जांच को जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।



जांच की प्रगति



घटनास्थल का निरीक्षण और विश्लेषण

- 31 जनवरी 2025 को आयोग के सदस्यों ने संगम नोज (Sangam Nose) का दौरा कर स्थल की भौगोलिक संरचना और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था का गहन अध्ययन किया।
- मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) सहित भारी सुरक्षा बल तैनात रहा।



जांच की प्रगति



घटनास्थल का निरीक्षण और विश्लेषण

- ▶ CCTV फुटेज और स्थल की स्थलाकृतिक संरचना की समीक्षा की गई।
- ▶ यदि आवश्यक हुआ, तो भविष्य में भी निरीक्षण किए जाने की संभावना है।



संभावित कारणों का आकलन



- घटना मौनी अमावस्या के पूर्वभोर में हुई, जो कुंभ के सबसे शुभ स्नान तिथियों में से एक मानी जाती है।
- लाखों श्रद्धालु एकत्र होने के कारण अत्यधिक भीड़ हो गई, जिससे अव्यवस्था फैली।
- बैरिकेइस के टूटने से भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई।
- हादसा ब्रह्म मुहूर्त में अखाड़ा मार्ग के संगम नोज क्षेत्र में हुआ।





संभावित कारणों का आकलन

- ▶ घटना मौनी अमावस्या के पूर्वभोर में हुई, जो कुंभ के सबसे शुभ स्तान तिथियों में से एक मानी जाती है।
- ▶ लाखों श्रद्धालु एकत्र होने के कारण अत्यधिक भीड़ हो गई, जिससे अव्यवस्था फैली।
- ▶ बैरिकेइस के टूटने से भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई।
- ▶ हादसा ब्रह्म मुहूर्त में अखाड़ा मार्ग के संगम नोज क्षेत्र में हुआ।



आयोग के कार्यक्षेत्र और लक्ष्य

- ▶ त्रासदी के सटीक कारणों की पहचान करना। ✓
- ▶ CCTV फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करना। ✓
- ▶ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुझाव देना। ✓
- ▶ निर्धारित एक महीने की समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ✗



आयोग के कार्यक्षेत्र और लक्ष्य



- ▶ सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है कि इस जांच को जल्द से जल्द निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।


महाकृष्ण

प्रामोज




प्रयागराज महाकुंभः विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम

- प्रयागराज महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धार्मिक समागम है। यह हर बारह वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक विशेष खगोलीय संरेखण में होते हैं। इस अवसर पर लाखों हिंदू तीर्थयात्री गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं।



महाकुंभ में क्या होता है?

- धार्मिक अनुष्ठान: साधु-संत और तीर्थयात्री विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं।
- मेला: मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल, प्रदर्शनी और मनोरंजन गतिविधियां होती हैं।
- संगम स्नान: लाखों लोग संगम में स्नान करते हैं।
- धार्मिक संगीत और नृत्य: विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है।



जांच आयोग

अधिनियम, 1952



anschrift: RAYON III.



Nr. 18



Nr. 20

Kleine Wertziffer:

8 15 Rp. ziegelrot p 1350.—
9 15 Cts. ziegelrot q 2000.—

Große Wertziffer:

15 Rp. ziegelrot p 250.

Die Nr. 13—17 gibt es
in 10 verschiedene T

जांच आयोग अधिनियम, 1952

परिचय

- भारत में किसी भी घटना, मुद्दे या प्रशासनिक कार्यवाही की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया जाता है। जांच आयोग अधिनियम, 1952 इस तरह के आयोगों के गठन, शक्तियों और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को किसी भी विषय पर जांच आयोग गठित करने का अधिकार देता है।



जांच आयोग अधिनियम, 1952

अधिनियम का उद्देश्य

- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसी भी घटना या मुद्दे की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करना है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जा सकें।



जांच आयोग अधिनियम, 1952

जांच आयोग के गठन

- केंद्र सरकार या राज्य सरकार: केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी भी विषय पर जांच आयोग गठित कर सकती है।
- आयोग के सदस्य: आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी अन्य योग्य व्यक्ति होता है।



जांच आयोग अधिनियम, 1952

जांच आयोग के गठन

- आयोग के कार्य: आयोग को जांच का कार्य सौंपा जाता है, जिसमें गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों की जांच करना और साक्ष्य एकत्र करना शामिल होता है।
- रिपोर्ट: आयोग को अपनी जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसमें अपने निष्कर्ष और सुझाव दिए जाते हैं।



जांच आयोग अधिनियम, 1952

जांच आयोग की शक्तियाँ

- गवाहों को बुलाना: आयोग किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है और उससे पूछताछ कर सकता है।
- दस्तावेजों की मांग करना: आयोग किसी भी व्यक्ति या संस्था से दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
- स्थानों का निरीक्षण करना: आयोग घटनास्थल या अन्य किसी स्थान का निरीक्षण कर सकता है।



जांच आयोग अधिनियम, 1952

जांच आयोग की सीमाएं

- न्यायालय नहीं: जांच आयोग एक न्यायालय नहीं है और यह किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने या दंड देने का अधिकार नहीं रखता है।
- सिफारिशें: आयोग केवल अपनी जांच के आधार पर सिफारिशें कर सकता है।



जांच आयोग अधिनियम, 1952

जांच आयोग के उदाहरण

- शेरशाह सूरी आयोग: 1980 के दशक में हुए सिख दंगों की जांच के लिए गठित किया गया था।
- सत्यम कंपनी घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग: सत्यम कंपनी के घोटाले की जांच के लिए गठित किया गया था।



CURRENT AFFAIRS QUIZ

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहे 1952 के जांच आयोग अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को किसी सार्वजनिक महत्व के विषय की जांच के लिए आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान करता है।
 2. इस अधिनियम के तहत गठित आयोग को न्यायालय की तरह कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे गवाहों को तलब करना और साक्ष्य एकत्र करना।
 3. इस अधिनियम के तहत गठित आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्यकारी होती है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1 और 2
 - (B) केवल 2 और 3
 - (C) केवल 1 और 3
 - (D) 1, 2 और 3



Thank You